क्रम-संख्या–146

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, मंगलवार, 26 अगस्त, 2025

भाद्रपद 4, 1947 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

———————

संख्या 1816 / वि0स0 / संसदीय / 70(सं) / 2025

लखनऊ, 13 अगस्त, 2025

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2025, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 13 अगस्त, 2025 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 2023 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2025

उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) अधिनियम, 1985 का संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जायेगा।

(2) यह 3 जून, 2025 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1985 की धारा 10 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियम) अधिनियम, 1985 की धारा 10 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थातः–

''10–(1) प्रत्येक प्रश्न-पत्र चार भिन्न-भिन्न प्राश्निकों, जो एक ही स्थान के न हों, द्वारा बनाया जायेगा।

(2) प्राश्निकों से प्राप्त मुहरबंद प्रश्न-पत्र परीक्षा नियंत्रक की अभिरक्षा में रखे जायेंगे।

(3) चारों प्राश्निकों से प्राप्त प्रश्न-पत्रों के मुहरबन्द लिफाफे सम्बद्ध अनुसीमकों को उनसे रसीद लेकर दिये जायेंगे।

(4) अनुसीमक चारों प्रश्न-पत्रों का अनुसीमन करेगा, उन्हें पृथक–पृथक आवरणों में रखेगा जिन पर अपनी मुहर लगायेगा और आवरणों पर पहचान का कोई चिन्ह नहीं लगायेगा और उन्हें परीक्षा नियंत्रक या उसके नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को रसीद लेकर सौंप देगा।

(5) परीक्षा नियंत्रक किसी विषय के किन्हीं दो अनुसीमित प्रश्न-पत्रों को मुहरबन्द आवरण खोले बिना चुनेगा और उसे उसी रूप में दो भिन्न–भिन्न मुद्रणालयों को भेज देगा, जो प्रश्न-पत्रों का मुद्रण करने, जिसके अन्तर्गत प्रूफ पढ़ना भी सम्मिलित है, और परीक्षा नियंत्रक द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार समस्त परीक्षा केन्द्रों के लिये भिन्न–भिन्न रंग/गोपनीय कोड में प्रश्न-पत्रों का पैकेट अपनी मुहर लगाकर तैयार करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(6) मुद्रणालय प्रश्न-पत्रों की गोपनीयता बनाये रखने के लिये उत्तर दायी होगा और परीक्षा नियंत्रक ऐसी गोपनीयता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करेगा और आवश्यक सावधानी बरतेगा।''

निरसन और व्यावृत्ति

3–(1) उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2025 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 2025

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

राज्य लोक सेवा आयोग की प्रक्रिया और कार्य संचालन से संबंधित कतिपय मामलों का उपबंध करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) अधिनियम, 1985 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, सन् 1985) अधिनियमित किया गया है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा संचालित परीक्षाओं को अधिक कुशलतापूर्वक, त्रुटिरहित, निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्वक संचालन कराने के उद्देश्य से प्रख्यात विषय विशेषज्ञों एवं अनुसीमकों द्वारा शुद्धतापूर्वक 03 प्रश्न–पत्र सेट के स्थान पर 04 प्रश्न–पत्र सेट तैयार कराने तथा विभिन्न मुद्रणालयों से 01 प्रश्न–पत्र के स्थान पर 02 प्रश्न–पत्र सेट मुद्रित कराने के लिये उपबंध करने हेतु पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 10 को संशोधित करने का विनिश्चय किया गया।

चूंकि राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरंत विधायी कार्यवाही आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 3 जून, 2025 को उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 2025) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2025 के संबंध में वित्तीय ज्ञापन-पत्र।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) अधिनियम, 1985 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 23 सन् 1985) की धारा 10 की उपधाराओं–1, 3, 4 एवं 5 के संशोधन का प्रस्ताव है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में उ0प्र0 लोक सेवा आयोग को गोपनीय मद में रू0 13 करोड़ 50 लाख की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। अधिनियम के क्रियान्वयन के उपरान्त प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार पर पड़ने वाला सम्भावित व्यय का आंकलन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं की संख्या एवं प्रत्येक परीक्षा में पंजीकृत अभ्यर्थियों के आधार पर किया जा सकेगा।

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री।

उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) (संशोधन), विधेयक, 2025 द्वारा संशोधित की जाने वाली मूल अधिनियम की संगत धारा का उद्धरण

उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) अधिनियम, 1985

धारा 10	(1) प्रत्येक प्रश्न–पत्र तीन भिन्न–भिन्न प्राश्निकों द्वारा, जो एक ही स्थान के न हों, बनाया जायगा। (2) प्राश्निकों से प्राप्त मुहरबन्द प्रश्न–पत्र परीक्षा नियंत्रक की अभिरक्षा में रखे जायेंगे। (3) तीनों प्राश्निकों से प्राप्त प्रश्न–पत्रों के मुहरबन्द लिफाफे सम्बद्ध अनुसीमकों को उनसे रसीद लेकर दिये जायेंगे। (4) अनुसीमक तीनों प्रश्न–पत्रों का अनुसीमन करेगा, उन्हें पृथक–पृथक आवरणों में रखेगा जिन पर अपनी मुहर लगायेगा और आवरणों पर पहचान का कोई चिन्ह नहीं लगायेगा और उन्हें परीक्षा नियंत्रक या उसके नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को रसीद लेकर सौप देगा। (5) परीक्षा नियंत्रक किसी विषय के किसी भी एक अनुसीमित प्रश्न–पत्र को मुहरबन्द आवरण खोले बिना चुनेगा और उसे उसी रूप में मुद्रणालय को भेज देगा, जो प्रश्न–पत्रों का मुद्रण करने, जिसके अन्तर्गत प्रूफ पढ़ना भी है, और परीक्षा नियंत्रक द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार समस्त परीक्षा केन्द्रों के लिये प्रश्न–पत्रों का पैकेट अपनी मुहर लगाकर तैयार करने के लिये उत्तरदायी होगा। (6) मुद्रणालय प्रश्न–पत्रों की गोपनीयता बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगा और परीक्षा नियंत्रक ऐसी गोपनीयता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करेगा और आवश्यक सावधानी बरतेगा।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 204/XC-S-1-25- 19S/2025
Dated Lucknow, August 26, 2025

NOTIFICATION
MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Rajya Lok Seva Ayog (Prakriya Ka viniyaman) (Sanshodhan) Vidheyak, 2025" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on August 13, 2025.

THE UTTAR PRADESH STATE PUBLIC SERVICE COMMISSION (REGULATION OF PROCEDURE) (AMENDMENT) BILL, 2025

A

BILL

to amend the Uttar Pradesh State Public Service Commission (Regulation of Procedure) Act, 1985.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement

1. (1)This Act may be called the Uttar Pradesh State Public Service Commission (Regulation of Procedure) (Amendment) Act, 2025.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 3rd day of June, 2025.

Amendment of Section 10 of U.P. Act no. 23 of 1985

2. *For* Section 10 of the Uttar Pradesh State Public Service Commission (Regulation of Procedure) Act, 1985, the following section shall be *substituted,* namely:-

''10.(1) Every question paper shall be set by four different paper setters, who shall not belong to the same place.

(2) Sealed question papers received from paper setters shall be kept in the custody of the Controller of Examinations.

(3) The sealed envelopes, containing question papers received from the four paper setters, shall be handed over to the concerned Moderators against a receipt.

(4) The Moderators shall moderate all the four question papers, place them in separate covers under their seal, without making any mark of identification on the cover and hand them over to the Controller of Examinations or his nominee against a receipt.

(5) The Controller of Examinations shall choose any two of the moderated question papers of a subject without opening the sealed covers and send it as such to two different Press, which shall be responsible for printing the question papers including the proof-reading, and for preparing packets of question papers in different Colours/Confidential Code for all examination centers under its seal, in accordance with information furnished by the Controller of Examinations.

(6) The press shall be responsible for maintaining the secrecy of the question papers, and the Controller of Examinations shall issue necessary directions and take necessary precautions to ensure such secrecy. ''

Repeal and Saving

3. (1) The Uttar Pradesh State Public Service Commission (Regulation of Procedure) (Amendment) Ordinance, 2025 is hereby repealed. U.P. Ordinance no. 5 of 2025

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh State Public Service Commission (Regulation of Procedure) Act, 1985 (U.P Act no. 23 of 1985) has been enacted to provide for certain matters relating to the procedure of the State Public Service Commission and the conduct of the Business.

In order to conduct the examinations conducted by The Uttar Pradesh Public Service Commission, Prayagraj more efficiently, error-free, fairly and with quality, it was decided to amend Section 10 of the aforesaid Act to provide for preparation of 04 question paper sets instead of 03 question paper sets by reputed subject experts and moderators with accuracy and for printing two sets of question papers instead of 01 question paper from different printing press.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh State Public Service Commission (Regulation of Procedure) (Amendment) Ordinance, 2025 (U.P Ordinance no.5 of 2025) was promulgated by the Governor on June 3, 2025.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

YOGI ADITYANATH
Mukhya Mantri.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 156 राजपत्र–2025–(455)–599+25+5=629 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।

156 RPH (rajya lok sewa ayog) 2025 Data 1e